न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 महेन्द्र कुमार पुत्र रूपाराम जी जाति माली निवासी ग्राम सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।
2 ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम जी जाति माली निवासीः– ग्राम सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 63/2022

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 21/9/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड़, पटवार हल्का सोजत रोड़, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में खसरा संख्या 61/619 रकबा 0.1240 हैक्टर किस्म गै.मु.आबादी, प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थीगण का क्रमशः 1/2–1/2 हिस्सा है तथा खसरा संख्या 61/620 रकबा 0.1063 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा संख्या 61/625 रकबा 0.1847 हैक्टर किस्म गै.मु.आबादी. कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के सम्पूर्ण खातेदारी की है। खसरा नम्बर 61/621 रकबा 0.2910 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 के सम्पूर्ण खातेदारी की है। प्रार्थीगण द्वारा जरिये समर्पणनामा अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व उपयोग व उपभोग हेतु अपनी खातेदारी में से 15–15 फुट रास्ता सरेण्डर किया था, जिस समर्पणनामा का म्यूटेशन 1565 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया तथा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में नये खातो का तरमीम किया गया व नया राजस्व नक्शा बनाया गया। नये राजस्व नक्शे तरमीम करने के क्रम में 61/619 खसरा में से नया खसरा नम्बर 61/622 बना, खसरा संख्या 61/620 में से नया खसरा नम्बर 61/623 बना व खसरा नम्बर 61/621 में से नया खसरा नम्बर 61/624 बना, उपरोक्त तीनो खसरे 61/622, 61/623 व 61/624 वर्तमान में गैर.मु. रास्ते दर्ज है। म्यूटेशन संख्या 1565 के अनुसार राजस्व नक्शो का तरमीम करते समय खसरा नम्बर 61/623 व 61/624 को खसरा नम्बर 61/621 व 61/625 व 61/620 के बीच में तरमीम किया गया अर्थात् खसरा नम्बर 61/623 को खसरा नम्बर 61/623 के पूर्वी दिशा में व खसरा नम्बर 61/624 को खसरा नम्बर 61/625 की पश्चिम दिशा में तरमीम किया गया व गैर.मु. रास्ता दर्ज किया गया, इसी प्रकार राजस्व अधिकारीयो द्वारा गलती से खसरा नम्बर 61/622 का रेवेन्यू नक्शा में तरमीम करते समय गलती से बिना मौका का निरिक्षण किये व बिना समर्पणनामे में दिये गये तथ्यो का अवलोकन किये बिना और प्रार्थीगण की बिना सहमति के खसरा नम्बर 61/619 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 61/621 के नीचे खसरा नम्बर 61/622 का तरमीम कर दिया गया, जो की गलत तरमीम किया गया, जबकि मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 61/619 के बीचो बीच खसरा नम्बर 61/623 व 61/624 के दक्षिण दिशा में गैर.मु.रास्ता है, जो कि 30 फुट का है, जो खसरा नम्बर 61/619 को दो भागो में बाटता है, जिसमें पश्चिम दिशा में ओमप्रकाश काबिज काश्त है, व पूर्वी दिशा में महेन्द्र कुमार काबिज काश्त है, इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त गलत तरमीम को सुधारने हेतु व खसरा नम्बर 61/622 की रेवेन्यू रेकर्ड नक्शे में सही जगह तरमीम करवाने के अधिकारी है, जिस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती व तरमीम शुद्धि का न्यायालय हाजा में पेश है। उक्त गलत तरमीम की

उपखण्ड अधिकारी

जानकारी प्रार्थीगण को हुई तब दिनांक 18/10/2021 को तहसीलदार सोजत के कार्यालय में प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 22/10/2021 को पटवारी, पटवार हल्का सोजत रोड़ द्वारा रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन फिर भी उचित कार्यवाही नही हुई, तत्पश्चात् प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत दिनांक 13/12/2021 को तहसीलदार महोदय के समक्ष कैम्पो में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नही होने से अन्दर म्याद न्यायालय हाजा में उक्त तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण मौके पर जिस अनुसार खसरा नम्बर 61/622 की तरमीम करवाना चाहता है, वह प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त भूमि ग्राम सोजत रोड़ में होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा संख्या 61/622 की तरमीम खसरा नम्बर 61/619 के बीचो बीच खसरा नम्बर 61/623 व 61/624 के दक्षिण दिशा किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पेश पेश कर अंकित किया कि प्रा0 पत्र पद संख्या 01 में वर्णित भूमि सोजत रोड़ में स्थित है। प्रा0 पत्र के पद संख्या 02 प्रार्थी स्वयं साबित करे। पद संख्या 3 से 7 को कानूनी होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में समर्पणनामा की फोटो प्रति, प्रा0 पत्र बाबत् समर्पण नामा माफिक दर्ज द्वारा पटवारी सोजतरोड़, म्यूटेशन संख्या 1565 की प्रमाणित छायाप्रति, पटवारी रिपोर्ट की प्रति, जमाबंदी खसरा नंबर 61/619, जमाबंदी खसरा नंबर 61/620, 61/625, जमाबंदी खसरा नंबर 61/621, खाता संख्या 01 की जमाबंदी, ट्रेस नक्शा की फोटोप्रति, भू0 नक्शा की फोटोप्रति खसरा नंबर 61/619, 61/622 सामिल मिसल है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सोजत को मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/ 2168 दिनांक 25.08.2022 को मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 61/475 रकबा 0.890 हैक्टर में से 0.1600 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुआ जो महेन्द्रकुमार ओमप्रकाश पिता रूपाराम कौम माली के नाम हुआ। इस संपरिवर्तित भूमिरकबा 0.1600 हैक्टर के नए खसरा नम्बर 61/619 दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 61/619 रकबा 0.160 हैक्टर किस्म (आवासीय प्रयोजनार्थ) गै.मु. आबादी के खातेदार महेन्द्रकुमार ओमप्रकाश पिता रूपाराम माली द्वारा इसी खसरा नम्बर में से 15+15 फीट कुल 30 फीट चौडा रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पण किया जिसके आदेश क्रमांक/राजस्व/14/506 दिनांक 18.07.2014 है। उक्त समर्पित रास्ते का खसरा नम्बर 61/622 रकबा 0.0360 हैक्टर दर्ज हुआ है। मूल खसरा नम्बर 61/619 में से रास्ते की तरमीम (खसरा नम्बर 61/622) नक्शे में पश्चिम दिशा की तरफ दर्ज है। खसरा नम्बर 61/619 का मौके पर दोनो खातेदारों का आपस में अलग-अलग बंटवाडा हो रखा है व काबिज है। मौके पर मकान बने हुए है। खसरा नम्बर 61/623, 61/624 रकबा क्रमशः 0.0740, 0.0740 हैक्टर किस्म गै0मू0 रास्ता, बा0अ0 (रास्ता प्रयाजनार्थ) सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण समर्पित रास्ते की तरमीम 61/9619 के बीचोबीच करवाना चाहते है किन्तु बीच रास्ते की तरमीम करने पर मूल खसरा तीन भागों में विभाजित होता है। माफिक समर्पणनामा के साथ संलग्न मौका रिपोर्टानुसार नजरी नक्शे में अंकित मार्क ऐ से अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जानी थी जो सेवन से नजरी नक्शा में मार्क ई से एच अनुसार कर दी गई जो गलत है। वास्तविक व सही तरमीम सरेण्डरनामा अनुसार मार्क ए से डी है।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड़, पटवार हल्का सोजत रोड़, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में खसरा संख्या 61/622 की तरमीम खसरा नम्बर 61/619 के बीचो बीच खसरा नम्बर 61/623 व 61/624 के दक्षिण दिशा किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार, सोजत ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। तहसीलदार सोजत की रिर्पोटानुसार सेवन से राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम की जा चुकी है। जिसे नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए से डी अनुसार सही होना बताया गया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड के खसरा नम्बर 61/622 की तरमीम माफिक सरेण्डनामा दिनाक 18.07.2014 व नजरी नक्शा में बताये गये मार्क ए से डी अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड़, पटवार हल्का सोजत रोड़, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 61/622 की तरमीम माफिक सरेण्डनामा दिनाक 18.07.2014 व नजरी नक्शा में बताये गये मार्क ए से डी अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाता है। नजरी नक्शा निर्णयका आवश्यक भाग रहेगा। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)